कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

पृष्ठभूमि

यह प्रतिवेदन वर्ष 2014–15 के दौरान बिहार सरकार के वित्त पर वित्तीय निष्पादन का आकलन करने तथा राज्य सरकार और राज्य विधान मंडल को उचित प्रकार से वित्तीय आंकड़ों पर लेखापरीक्षा विश्लेषण के रूप में सूचना प्रदान करने के उद्देश्य से प्रस्तुत है। इस विश्लेषण को उचित परिपेक्ष्य में रखने के लिए बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2010, तेरहवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन एवं बजट अनुमान 2014–15 में दिये गए लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धियों की तुलना का प्रयास किया गया है।

यह प्रतिवेदन

मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए बिहार सरकार के लेखा परीक्षित लेखाओं पर आधारित यह प्रतिवेदन, सरकार के वार्षिक लेखे की विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रस्तुत करती है। यह प्रतिवेदन तीन अध्यायों में संरचित है।

अध्याय–I वित्त लेखा की लेखापरीक्षा पर आधारित है और 31 मार्च 2015 तक के बिहार सरकार के राजकोषीय स्थिति का मूल्यांकन करता है। यह पूर्व वर्ष की तुलना में मुख्य राजकोषीय संचय में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। यह ब्याज, भुगतान, वेतन एवं मजदूरी, पेंशन, सब्सिडी तथा ऋण की अदायगी तथा उधार प्रतिमान की प्रवृत्तियों की जानकारी देने के अतिरिक्त बजट से इतर मार्ग से राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को सीधे स्थानांतरित केंद्रीय निधियों का संक्षिप्त लेखा भी उपलब्ध कराता है।

अध्याय–II विनियोग लेखा की लेखापरीक्षा पर आधारित है और विनियोगों का अनुदानवार विवरण देता है तथा सेवा प्रदायी विभागों द्वारा आवंटित संसाधनों के प्रबंध के ढ़ंग का वर्णन करता है। इसमें "अनुदान संख्या–23 उद्योग विभाग" तथा "अनुदान संख्या–42 ग्रामीण विकास विभाग" नामक दो अनुदानों की विस्तृत समीक्षा दी गयी है। इसमें यह पता लगाने की चेष्टा की गयी है कि विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत हुए व्यय वास्तव में विनियोजन अधिनियम के अंतर्गत दिये गए प्राधिकरण में हुए थे अथवा नहीं।

अध्याय–III विभिन्न प्रतिवेदन संबंधी आवश्यकताओं एवं वित्तीय नियमों के साथ बिहार सरकार के अनुपालन की एक सूची है। लेखापरीक्षा निष्कर्ष के समर्थन में विभिन्न सरकारी विभागों/संगठनों से एकत्रित किए गए आँकड़े भी इस अध्याय में होते हैं।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

अध्याय I राज्य सरकार का वित्त

राजकोषीय स्थिति

- वर्ष 2014–15 के दौरान राज्य का राजस्व अधिशेष ₹ 5847.56 करोड़ था। चालू वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटा बढ़कर ₹ 11178.50 करोड़ हो गया। यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.78 प्रतिशत था, जो कि तेरहवें वित्त आयोग के अनुशंसा की सीमा (तीन प्रतिशत) के भीतर था।

(कंडिका 1.1.2 एवं 1.11.1)

राज्य क्रियान्वयन एजेंसियो को निधि का हस्थानांतरण

- वर्ष 2014–15 के दौरान, भारत सरकार ने राज्य क्रियान्वयन एजेंसियो को सीधे ₹ 651.74 करोड़ स्थानांतरण किया, जो कि पूर्व वर्ष की तुलना में 93.11 प्रतिशत कम था। मुख्य प्राप्तकर्ताओं में जिला योजना अधिकारी (स्थानीय निकाय) (₹ 246.50 करोड़ अर्थात् 37.82 प्रतिशत), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना (सरकारी स्वायत्त निकाय) (₹ 206.97 करोड़ अर्थात् 31.76 प्रतिशत) तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (सरकारी स्वायत्त निकाय) (₹ 82.00 करोड़ अर्थात् 12.58 प्रतिशत)।

(कंडिका 1.2.2)

संसाधन संग्रहण

- जबकि राज्य के राजस्व प्राप्तियों (₹ 78417.54 करोड़) में वर्ष 2014–15 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में 13.78 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो कि बजट प्राक्कलन से ₹ 23522 करोड़ कम था।

(कंडिका 1.1.1 एवं 1.1.3)

व्यय की गुणवता

- पूँजीगत व्यय 2013–14 के ₹ 14001 करोड़ से बढ़कर 2014–15 में ₹ 18150.41 करोड़ हो गया, जबकि चुनिंदा आर्थिक सेवाओ पर पूँजीगत व्यय कुल व्यय का 2013–14 के 48.29 प्रतिशत से बढ़कर 2014–15 में 51.99 प्रतिशत हो गया। तथापि, इनमें कमी मुख्य रूप से सामाजिक सेवाओं में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा आर्थिक सेवाओं में कृषि एवं संबद्ध सेवाएँ तथा सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के अंतर्गत देखा गया।

(कंडिका 1.1.1 एवं 1.7.2)

- चयनित सामाजिक आर्थिक सेवाओं के राजस्व व्यय में वेतन एवं मजदूरी का अंश 2013–14 में 27.90 प्रतिशत से घटकर 2014–15 में 24.24 प्रतिशत हो गया, जो राज्य वित्त में सकारात्मक परिवर्त्तन इंगित करता है।

(कंडिका 1.7.2)

- 31 मार्च 2015 तक, राज्य सरकार ने सरकारी कंपनियों, सहकारी संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों, सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंक तथा अन्य संयुक्त स्टॉक कंपनियों एवं साझेदारियों में ₹ 7068.79 करोड़ निवेश किया जिसके विरूद्ध वर्ष 2014–15 में सिर्फ ₹ 2.58 करोड़ प्रतिलाभ था।

(कंडिका 1.8.2)

- प्रत्येक वर्ष राज्य के विभिन्न संस्थाओं/संगठनों को ऋण की वृहत् राशि दी गयी थी लेकिन उसकी वसूली नगण्य थी जो पुनर्भुगतान के लिए एक वृहत् राशि ₹ 20255.01 करोड़ मार्च 2015 के अंत तक बकाया था।

(कंडिका 1.8.3)

राजकोषीय देयता

- राज्य की राजकोषीय देयता 2010–11 के ₹ 62858.01 करोड़ से बढ़कर 2014–15 में ₹ 99055.82 करोड़ हो गया। वर्ष के दौरान, राजस्व अधिशेष में ₹ 595 करोड़ की कमी हुई जबकि राजकोषीय घाटा 2013–14 के ₹ 8351 करोड़ से बढ़कर 2014–15 में ₹ 11179 करोड़ हो गए। तथापि, वर्ष 2014–15 में राजकोषीय घाटा तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात (0.028), तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित आकलन तथा एफ.आर.बी.एम. अधिनियम में वर्णित तीन प्रतिशत के भीतर था। राज्य सरकार ने अभी तक कोई प्रत्याभूति मोचन निधि का सृजन नहीं किया था।

(कंडिका 1.9.2 एवं 1.11.1)

अध्याय II वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण

अनुचित बजट प्राक्कलन के कारण वृहत् बचत

- वर्ष 2014–15 के दौरान ₹ 140022.59 करोड़ के कुल बजट प्रावधान के विरूद्ध वृहत् बचत ₹ 43925.80 करोड़ (31.37 प्रतिशत) था जो अनुचित बजट अनुमान को दर्शाता है। विभिन्न योजनाओं/उपशीर्षों के अंतर्गत वृहत् बचत राज्य में विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। गत पाँच वर्षो से सतत् बचत 10 विभागों में भी सूचित हुई। कुल बचत (₹ 43925.80 करोड़) में से ₹ 27334.02 करोड़ (62.23 प्रतिशत) ही अभ्यर्पित की गई और ₹ 22740.73 करोड़ (83.20 प्रतिशत) की राशि 31 मार्च 2015 को अभ्यर्पित की गई।

(कंडिका 2.2 तथा 2.3.2)

पूर्ववर्ती वर्षों के प्रावधान से आधिक्य का अपेक्षित नियमितिकरण

- पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान प्रावधानित राशि से अधिक व्यय की गई राशि ₹ 1062.46 करोड़ के आधिक्य व्यय को भारतीय संविधान की धारा 205 के तहत् नियमितिकरण कराना अपेक्षित था।

(कंडिका 2.3.3)

विभागीय आँकड़ों का असमाशोधन

- वर्ष 2014–15 के दौरान नियंत्री पदाधिकारियों ने महालेखाकार (ले. एवं हक.) के पुस्त के साथ 75 मुख्य शीर्षों के तहत ₹ 68657.81 करोड़ (प्रत्येक मामलों में ₹ 10 करोड़ से अधिक) का समाशोधन नहीं किया।

(कंडिका 2.5)

आकस्मिकता निधि से अग्रिम

- वर्ष 2014–15 के दौरान, आकस्मिकता निधि से ₹ 1875.84 करोड़ के 101 आहरण हुए, जिसमें से ₹ 1667.15 करोड़ (88.87 प्रतिशत) के 67 आहरण नित्य व्यय हेतु थे।

(कंडिका 2.6)

उद्योग तथा ग्रामीण विकास विभाग में बजटीय नियत्रंण में कमी

- उद्योग तथा ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा बजट नियमावली के प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा था फलतः विभाग में बजटीय नियत्रंण का अभाव था।

(कंडिका 2.7 तथा 2.8)

अध्याय III वित्तीय प्रतिवेदन

असमायोजित सार आकस्मिक विपत्रों

- विस्तृत आकस्मिक विपत्रों की प्रस्तुति न होने के कारण सार आकस्मिक विपत्रों पर आहरित ₹ 5381.42 करोड़ की महत्वपूर्ण राशि मार्च 2015 तक लंबित थे।

(कंडिका 3.1)

उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की प्रस्तुति में विलंब

- विभिन्न विभागों द्वारा सहायता अनुदान विपत्रों के विरूद्ध आहरित ₹ 31510.73 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण–पत्र 31 मार्च 2015 तक लंबित था। सहायता अनुदान विपत्रों के विरूद्ध वृहत् राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्रों की अप्राप्ति, अभिप्रेत प्रयोजन हेतु अनुदान के ससमय व्यवहार के लिए नियम एवं पद्धति का पालन करने में विभागीय अधिकारियों की विफलता प्रदर्शित करती है।

(कंडिका 3.2)

प्रमाणीकरण हेतु प्राधिकरणों अथवा निकायों के लेखा/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुतीकरण में विलंब

- सभी चार प्राधिकरणों अथवा निकायों द्वारा प्रमाणीकरण के लिए लेखा/लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुति में एक साल एक महीना से तीन वर्षों से अधिक विलंब था।

(कंडिका 3.4)

अस्थायी अग्रिम एवं अग्रदाय का असमायोजन

- आठ विभागों/संगठन द्वारा 31 मार्च 2015 तक आहरित ₹ 186.08 करोड़ के अस्थायी अग्रिम एवं अग्रदाय असमायोजित थे।

(कंडिका 3.6)